संख्या–1218/नौ–1–सिं0 (55 बजट/03)/2004

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
उप सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तरॉचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग देहरादून, दिनांक 26 मार्च, 2004

विषयः– जिला योजना के अन्तर्गत नलकूप निर्माण हेतु पुनर्विनियोग द्वारा आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 962/मु0अ0वि0/बी–1/बजट (सामान्य) दिनांक 24.03.2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पौड़ी के अन्तर्गत कोटद्वार के भावर क्षेत्र में निर्मित नलकूपों के जल वितरण प्रणाली के विस्तारीकरण हेतु संलग्न बी0एम0–15 पर अंकित अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतो से व्यावर्तन द्वारा रू0 16.40 लाख (रूपये सोलह लाख चालीस हजार मात्र) की धनराशि व्यय करने की स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

1– सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के विरूद्ध ही किया जाय, व्यय केवल उन्ही योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है, तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्गित रूप से उत्तरदायी होंगे। जिला योजना से सम्बन्धित कार्यो पर व्यय जिला अनुश्रवण समिति द्वारा स्वीकृत परिव्यय एवं इसके अन्तर्गत अनुमोदित योजनाओं के अनुसार ही किया जाय।

2– धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति एवं कार्यो के प्राक्कलन सक्षम अधिकारी से अवश्य स्वीकृत करा लिये जाय।

3– उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्ती हस्तपुस्तिका, स्टोर पर्चेज, रूल्स, टेडर/कुटेशन विषयक नियम मितव्यता के विषय में शासन के आदेश तथा शासन द्वारा इस विषय में समय–समय पर जारी किये गये अन्य आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

4– जहां आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय तथा कार्यो के सम्बन्ध में यथोचित भूकम्प निरोधी तकनीकी का प्रयोग किया जाय।

क्रमश.......2

5– स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तरांचल एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

6– कार्य की समय बद्धता एवं गुणवता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

7– स्वीकृत की जा रही धनरांशि उपभोग 31.03.2004 तक कर दिया जायेगा और इसमें कृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2003–04 मे अनुदान सं0–20 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में लेखाशीर्षक 4701–मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–01–मध्यम सिंचाई वाणिज्यिक आयोजनागत–140–नलकूपों का निर्माण (जिला योजना) 91–नलकूपों का निर्माण (जिला येाजना) – 00–24–बृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

उक्त आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–3455/वि0 अनु0–3/2004 दिनांक, 25, मार्च, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें हैं।

संलग्नः–यथोक्त।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव।

संख्या 1218/नौ–1–सिं0 (55 बजट/03)/2004/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2– वित्त विभाग (वित्त अनुभाग–3), उत्तरांचल शासन।
3– श्री एम0एल0पन्त, अपर सचिव, वित्त,बजट अनुभाग उत्तरांचल शासन।
4– नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
5– निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री।
6– निजी सचिव, मा0 मंत्री सिंचाई बाढ़ नियन्त्रण एवं लघु सिंचाई को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
7– अधिशासी निदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल शासन।
8– कोषाधिकारी/जिलाधिकारी पौड़ी एवं देहरादून।
9– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10– गार्ड फाईल हेतु।

संलग्नकः–यथोक्त।

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव।

प्रपत्र–बी0एम–15

नियन्त्रण अधिकारी –मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल।
प्रशासनिक विभाग सिंचाई विभाग उत्तरांचल शासन।
वित्तीय वर्ष 2003–04 अनुदान संख्या–20

(धनराशि हजार रूपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय1 02/04 तक	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि (स्तम्भ–1 में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
4701–मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 01–मुख्य सिंचाई वाणिज्यिक आयोजनागत–140–नलकूपों का निर्माण– 03–नाबार्ड (आर0आई0 डी0 एफ0–8 योजना)–00–24–वृहद् निर्माण कार्य । रू0–150000	41990	75696	32314	4701–मुख्य तथा मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–01–मध्यम सिंचाई वाणिज्यिकआयोजनागत–140–नलकूपो का निर्माण (जिला योजना) 91–नलकूपों का निर्माण (जिला योजना) 00–24–वृहद निर्माण कार्य रू0 1640	41340	148360	जनपद पौड़ी के कोटद्वार क्षेत्र में जिला योजना के अन्तर्गत निर्मित नलकूपों पर जल विवरण प्रणाली के विस्तारीकरण हेतु जनप्रतिनिधियों की प्रबल माग है, किन्तु जिला योजना में परिव्यय कम आवंटित होने के कारण विवरण प्रणाली का यथा वांछित कार्य पूरा नही कराया जा पा रहा है। जिससे निर्मित नलकूपों से सिंचन सुविधा का पूरा लाभ लाभार्थियों को नही मिल पा रहा है। रू0 16.40 लाख के अतिरिक्त आवंटन से इस समस्या का काफी हद तक समाधान हो पायेगा।
150000	41990	75696	32314	1640	41340	148360	

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर 150–156 में उल्लिखित प्राविधानों एवं योजनाओं का उल्लघन नही होता है।

टीकम सिंह पंवार
उप सचिव।

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–3,,
सं0–3455/वि0अनु–3/2003–04
देहरादून: दिनांक 25, मार्च, 04

पुनर्विनियोग स्वीकृत।

राधा रतूड़ी
सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार उत्तरांचल,
ओबराय मोटर्स बिल्डिंग सहारनपुर रोड,
माजरा देहरादून।

सं0 /वि0अनु–3/03तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
2– वित्त अनुभाग–3 उत्तरांचल शासन, देहरादून।
3– जिलाधिकारी/कोषाधिकारी पौड़ी।
4– नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन, देहरादून।
5– अधिशासी निदेशक, सूचना एवंज न सम्पर्क विभाग, उत्तरांचल देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव।